

(Online No. 2022/128)

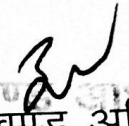
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

विकास पुत्र कृष्णदेव विश्नोई बनाम सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल विश्नोई

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 96 / 2022

22.02.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-96/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. विकास पुत्र कृष्णदेव विश्नोई नि० गांधीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल विश्नोई नि० गांधीनगर भीलवाडा।
2. देउ पुत्री चतरा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नौरतन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह पुरावत निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रतीक पुत्र विनीत पानगडिया निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
5. भैरू पुत्र चतरा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
6. रतन पुत्र रामा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
7. रामदयाल पुत्र हरजीराम जाट निवासी केरोट तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. सत्यनारायण पुत्र रामा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
9. सुन्दर पत्नी स्वर्गीय रामा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
10. सरजु पुत्री चन्ना अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
11. कैलाश पुत्र सीताराम अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
12. तुलसीराम पुत्र छोगा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
13. भगवानलाल पुत्र छझेगा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
14. श्रीमति मांगी पत्नी सीताराम अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
15. रेखा पुत्री सीताराम अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
16. लक्ष्मी पुत्री सीताराम अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
17. सोनी पुत्री छझेगा अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
18. किशन पुत्र गंगाराम अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा।
19. मैसर्स जिन्दल शॉ लिमिटेड पुर रोड लेबर कालोनी तिरंगा पहाड के पास पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
20. चरागाह विकास पंचायत दरीबा ग्राम दरीबा तहसील व जिला भीलवाडा।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 22.02.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम समोडी प०ह० दरीबा भू०अ०नि० पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 456 रकबा 1.0622 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम समोडी प0ह0 दरीबा भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 456 रकबा 1.0622 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम समोडी प0ह0 दरीबा भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 456 रकबा 1.0622 हैक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 250/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पांसल 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पांसल जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।




(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा